ENTO SERVICE S

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय

NATION TAX MARKET OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE, KOCHI

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING

आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

Email: rtihqrskochi@yahoo.com

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

सी.सं.C. No. IV/16/05/2015-RTI

Date: 30.07.2018

## व्यापार सूचना/TRADE NOTICE NO: 08/2018

विषय: स्चना अधिकार अधिनियम, 2005 - जन स्चना अधिकारी की नियुक्ति - संबन्धित।

Sub: Right to Information Act, 2005-Appointment of CPIO - Reg.

व्यापार, उद्योग एवं आम जनता को इसके साथ स्चित किया जाता है कि स्चना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना / दस्तावेजों की प्रकटीकरण के लिए आवेदनों / अनुरोधों को प्राप्त करने हेतु, दिनांक 21.06.2017 की व्यापार सूचना सं. 02/2017 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की तालिका के अनुबंध- ॥(1) में एवं व्यापार सूचना सं. 03/2017 - केन्द्रीय कर की तालिका के अनुबंध- ॥(1) में स्चित अनुसार श्री शक्तिधरन के, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद को श्री वी बी सुब्रमण्यन, सहायक आयुक्त के स्थान पर केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) के रूप में पदांकित किया गया है।

Trade, Industry and General Public are hereby informed that Shri Sakthidharan K, Assistant Commissioner, Headquarters Office, Kochi has been designated as Central Public Information Officer (CPIO), Central Tax & Central Excise, Hqrs Office, Kochi in place of Shri. V. B. Subramonian, Assistant Commissioner for the purpose of receiving applications/requests for disclosure of information/documents under Right to Information Act,

2005 for offices falling under its jurisdiction as shown at Annexure- II(1) of Trade Notice No.02/2017-Central Excise and 03/2017-Central Tax both dated 21.06.2017. The details are shown below.

क्र.सं./ Sl.No.	नाम व पदनाम/ Name & Designation	क्षेत्राधिकार/Jurisdiction		सी.पी.आई.ओ. का पता एवं दूरभाष सं./Address and Telephone No. of the Appellate Authority
1	श्री शक्तिधरन के, सहायक आयुक्त एवं सी.पी.आई.ओ Shri Sakthidharan K Assistant Commissioner & CPIO	कोच्चि केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय / Kochi Central Tax & Central Excise Commissionerate	क्षेत्र/Arca व्यापार सूचना सं. 2/2017,अनुबंध ॥ व 3/2017-के.उ.शु. दोनों दिनांक 21/06/2017 में सूचित अनुसार As mentioned in Annexure II of Trade Notice Nos.02/2017- Central Excise & 03/2017-Central Tax both dated 21/06/2017.	केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन, आई.एस.प्रेस.रोड: कोच्चि- 682018/ Central Tax & Central Excise, Hqrs Office, Central Revenue Building, I.S.Press Road, Kochi -682018. Phone:0484-2390404. Fax:0484-2390608. Email: cexcochi@excise.nic.in

সাং সংগ্ৰহণ ধানেকং/K R Uday Bhaskar आयुक्त/Commissioner

प्रति/Copy to:

## संबन्धित अधिकारी/The concerned officers

सूचना हेतु प्रति प्रस्तुत है / Copy for information submitted to :

1. सदस्य, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली The Member, Central Board of Indirect Taxes and Customs, New Delhi.

2. निरीक्षण महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, डी -ब्लॉक, आई पी एसटेट,नई दिल्ली The Director General of Performance Management, D-Block, I.P.Estate, New Delhi.

3. सिस्टेमस महानिदेशक, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, होटेल सम्राट, नई दिल्ली The Director General of Systems, CBIC, Hotel Samrat, New Delhi. 4. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, थिरुवनंथपुरम क्षेत्र/The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise

Thiruvananthapuram Zone.

5. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,केलिकट एवं ट्रिवेनड्रम-इस अनुरोध के साथ कि वे इस व्यापार सूचना का व्यापक प्रचार करें और विभिन्न व्यापार संघों और आर.ए.सी. आदि के सदस्यों को क्षेजें The Commissioner, Central Tax & Central Excise, Calicut & Trivandrum with a request that they may give wide publicity to this trade notice and may be sent to various Trade Associations & members of RAC etc. also

6. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचीन. The Commissioner of Customs, Customs Preventive Commissionerate,

Cochin.

7. आयुक्त (अपील),कोचिन The Commissioner (Appeals), Cochin.

8. सभी महानिदेशक/मुख्य आयुक्त/निदेशालयों के आयुक्त All Director General/Chief Commissioners /Commissioners of Directorates

संयुक्त आयुक्त एवं प्रथम अपील अधिकारी(जन सूचना), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोचिन/The Joint Commissioner and 1st Appellate Authority (RTI), Central Tax & Central Excise Hqrs., Cochin.

10. स्चना पट्ट/Notice Board.